वित्तीय स्वीकृति

संख्या– /XVII-4/2017–10(07)2010

प्रेषक,

**डा0 राम बिलास यादव,**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

**समाज कल्याण अनुभाग–04** देहरादून दिनांक 09 जनवरी, 2018

**विषय–"सुगम्य भारत अभियान" के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4–91/2016–AIC दिनांक 13.02.2017 द्वारा "सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत निम्न 04 कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी.**संख्या**–S180115016 **दिनांक** 01/01/17 के अनुसार **₹50.065 लाख (रूपये पचास लाख छः हजार पांच सौ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

**(धनराशि लाख रूपयें में)**

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत धनराशि | प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क ऑफिस, देहरादून। | 70.55 | 35.28 |
| 2. | विश्वकर्मा बिल्डिंग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून। | 16.41 | 8.205 |
| 3. | मुख्य सचिव बिल्डिंग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून। | 5.24 | 2.62 |
| 4. | सचिवालय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून। | 7.93 | 3.96 |
| | **कुल योग** | **100.13** | **50.065** |

1. अवर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–4–91/2016–AIC दिनांक 13.02.2017 में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों का शब्दशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः–2

5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट नियमावली 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाय।
11. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
12. निर्माण कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
13. निर्माण कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
14. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
15. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
16. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्रावधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य दशा में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
17. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2016 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
18. निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखें तथा अवमुक्त धनराशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः–3

19. अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।

20. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02–समाज कल्याण, 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 01–विकलांगों के लिए विशेष सेवा योजना कार्यालय, 0101–निःशक्तजन अधिनियम, 1995 का क्रियान्वयन (शत्प्रतिशत के0पो0) योजना के मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्या–610/3(150)/ XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

**संलग्न–यथोक्त।**

भवदीय,

**(डा0 राम बिलास यादव)**
अपर सचिव।

**संख्याः – 04 (1)/XVII-4/2018-10(07)/2010, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

**(मायावती ढकरियाल)**
संयुक्त सचिव।

## बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

**Secretary, Social Welfare (S045)**

आवंटन पत्र संख्या - 04 /XVII-4/2017-10(07)/2010

अलोटमेंट आई डी - S1801150146

अनुदान संख्या - 015

आवंटन पत्र दिनांक -09-Jan-2018

**HOD Name - Director Social Welfare (4708)**

1: **लेखा शीर्षक** 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण — 02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

01 - विकलांगों के लिए विशेष सेवा योजना कार्यालय

01 - नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 का क्रियान्वयन (100 प्रतिशत के0स0)

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | योग |
|---|---|---|---|
| 25 - लघु निर्माण कार्य | 0 | 5006500 | 5006500 |
| | **0** | **5006500** | **5006500** |

**Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5006500**

9/1/2018

(महेन्द्र सिंह नेगी)
अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण अनुभाग--04